2018/00077

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर बनाम रमैशचन्द वगैरह
रेफरेन्स संख्या 09/2018

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज०)

पीठासीन अधिकारी :-रिछपाल सिह बुरडक (आर०ए०एस०)
रेफरेन्स संख्या :- **09/2018**
प्रार्थी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर।

अप्रार्थीगण :-

1. रमेशचन्द पुत्र मगराज कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
2. सत्यनारायण पुत्र मगराज कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
3. कान्तादेवी पत्नि रामप्रसाद कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
4. मुरलीधर पुत्र रामप्रसाद कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
5. पवनकुमार पुत्र रामप्रसाद कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
6. कमलादेवी पत्नि श्यामलाल कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
7. मंजूदेवी पुत्री श्यामलाल कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
8. संतोषदेवी पुत्री श्यामलाल कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
9. रामलाल पुत्र श्यामलाल कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
10. रामकिशोर पुत्र श्यामलाल कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास
11. प्रेमचन्द पुत्र श्यामलाल कौम ब्राह्मण निवासी सिडीयास

उपस्थित अधिवक्ता :-

श्री ओम प्रकाश मोठ एवं कमल किशोर मोठ अधिवक्तागण, अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 11 की और से।

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- **08.12.2021**

{1} यह रेफरेन्स राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर की सेवा में रेफरेन्स कराये जाने हेतू तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

{2} रेफरेन्स के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बांसेड की जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 एंव मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2008 में खसरा नंबर 268, 269, 270, 271, 272 कुल क्षेत्रफल 45.00 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री नरसिंहजी महाराज वाके बांसेड के नाम खुद काश्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

खातेदारी दर्ज है। ग्राम बांसेड के खसरा नंबर 268, 269, 270, 271, 272 जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025 में रकबा 43.0 बीघा भूमि बिना किसी नामान्तरण के खातेदारो के नाम अंकित कर दी गई एवं खसरा नंबर 271/1 एवं 272/1 रकबा 2.0 बीघा भूमि गैर मुमकिन सडक में चली गई। शेष भूमि 43.0 बीघा भूमि विधि सम्मत नही हैं। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 में नवीन भू-प्रबंध होने से पुराने खसरा नंबर 268, 269, 270, 271, 272 के स्थान पर नवीन खसरा नंबर 575, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 604 कुल क्षैत्रफल 6.50 हैक्टेयर भूमि रमेशचन्द पुत्र मगराज, सत्यनारायण पुत्र मगराज, कान्तादेवी पत्नि रामप्रसाद, मुरलीधर पुत्र रामप्रसाद, पवनकुमार पुत्र रामप्रसाद, कमलादेवी पत्नि श्यामलाल, मंजूदेवी पुत्री श्यामलाल, संतोषदेवी पुत्री श्यामलाल, रामलाल पुत्र श्यामलाल, रामकिशोर पुत्र श्यामलाल, प्रेमचन्द पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिडीयास के नाम दर्ज है जो अवैध होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार डोली बनाम मंदिर श्री नरसिंह जी महाराज वाके ग्राम बांसेड मूर्ति शास्वत नाबालिग होने से मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के नाम उक्त भूमि का हस्तांतरण अवैध है। अतः रमेशचन्द पुत्र मगराज, सत्यनारायण पुत्र मगराज, कान्तादेवी पत्नि रामप्रसाद, मुरलीधर पुत्र रामप्रसाद, पवनकुमार पुत्र रामप्रसाद, कमलादेवी पत्नि श्यामलाल, मंजूदेवी पुत्री श्यामलाल, संतोषदेवी पुत्री श्यामलाल, रामलाल पुत्र श्यामलाल, रामकिशोर पुत्र श्यामलाल, प्रेमचन्द पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिडीयास के नाम अवैध खातेदारी अधिकार निरस्त कर ग्राम बासेंड के खसरा नंबर 575, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 604 कुल क्षैत्रफल 6.50 हैक्टेयर में दर्ज नामान्तरण संख्या 18 , 9, 65 अवैध होने से खारिज योग्य है अतः उक्त भूमि को मंदिर श्री नरसिंहजी महाराज वाके बांसेड के नाम पुनः दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

{3} प्रार्थी तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 11 की और से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश मोठ एवं कमल किशोर मोठ ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया।

{4} वकील अप्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की और से दिनांक 10.03.2021 को जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर हमारे पूर्वज ही काश्त करते आ रहे है तथा उक्त भूमि नामान्तरण के आधार पर खातेदारी दर्ज की गई है वह बैचाण के आधार पर की गई है। जिससें उक्त बैचाणों को रद्द कराये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। आगे विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जिन खातेदारों के नाम से भूमि हुई है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

वह विधिवत हुई है जिस कारण से नामान्तरणो को कतई खारिज किये जाने योग्य नही है । अत: जिन भी खातेदारों के नाम से उक्त भूमि दर्ज है उन्हीं के नाम रखी जावें न की मंदिर के नाम से दर्ज की जावें।

{5} बहस अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण के पूर्वज ही काश्त करते आ रहे है तथा जिन भी खातेदारों के नाम भूमि दर्ज हुई है वह विधिवत है, अत: निवेदन है कि अप्रार्थीगण के हितों को ध्यान में रखते हुए रेफरेन्स को खारिज किया जाना न्यायोचित है एवं जिन भी खातेदारों के नाम से उक्त भूमि दर्ज है उन्हीं के नाम रखी जावें।

{6} बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि खतौनी सम्वत 2000 मौजा बासेड परगना परबतसर के अनुसार खसरा नंबर 268, 269, 270, 271, 272 कुल क्षेत्रफल 45.00 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री नरसिंहजी महाराज वाके बांसेड बएतमाम नेनुदास चेलो सुरजनदास जाति साद के नाम दर्ज रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बासेड तहसील परबतसर सम्वत् 2010–2013 तथा जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बासेड तहसील परबतसर सम्वत 2014–2017 में खसरा नंबर 268, 269, 270, 271, 272 कुल क्षेत्रफल 45.00 बीघा भूमि बनाम मंदिर श्री नरसिंहजी वाके देह बएतमाम नेनूदास चेला सुरजमलदास कौम साद सा०देह के नाम खुदकाश्त खातेदारी दर्ज रही है। परन्तु नवीन भू-प्रबंधन द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 में कालॅम संख्या 5 (नाम कृषक, विवरण सहित और कृषिकार) में बनाम मंदिर श्री नरसिंहजी वाके देह बएतमाम नेनूदास चेला सुरजमल दास कौम साद सा०देह की प्रविष्टि कर खातेदारी दर्ज कर दी गई। जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 में बिना किसी सक्षम आदेश के खसरा नंबर 268, 269, 270, 271, 272, 271/2, 272/2 कुल क्षेत्रफल 43.00 बीघा की खातेदारी नेनूदास चेला सुरजनदास साद सा०सिडियास के दर्ज कर दी गई एवं खसरा नंबर 271/1 एंवं 272/1 रकबा 2.0 बीघा भूमि गैर मुमकिन सडक में चली गई। जरिये विरासत के दर्ज विभिन्न नामान्तकरण संख्या 18 ,9 एंव 65 द्वारा उक्त खसरान की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई तथा नवीन भू प्रबंध द्वारा पुराने खसरान के स्थान पर नवीन संख्या संख्या 575, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 604 कुल क्षेत्रफल 6.50 हैक्टेयर होकर भूमि रमेशचन्द पुत्र मगराज, सत्यनारायण पुत्र मगराज, कान्तादेवी पत्नि रामप्रसाद, मुरलीधर पुत्र रामप्रसाद, पवनकुमार पुत्र रामप्रसाद, कमलादेवी पत्नि श्यामलाल,

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

मंजूदेवी पुत्री श्यामलाल, संतोषदेवी पुत्री श्यामलाल, रामलाल पुत्र श्यामलाल, रामकिशोर पुत्र श्यामलाल, प्रेमचन्द पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासीगण सिडीयास के नाम खातेदारी दर्ज हो गई।

प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 एंव जमाबन्दी सम्वत 2014 से 2017 में मंदिर की खुदकाश्त भूमि रही है परन्तु नवीन बंदोबस्त में खुदकाश्त की भूमि में मंदिर का नाम हटाकर खातेदारी दर्ज की गई जो कि पूर्णतः नियम विरूद्ध एवं गैर कानूनी है। चूंकि विधि का सिद्धान्त है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकारी प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर मूर्ति की भूमि में दिये गये खातेदारी अधिकारी विधिक रूप से प्रभावहीन व शून्य है। इस प्रकार नवीन बंदोबस्त अनुसार खातेदारी अवैध तथा निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थीगण के नाम दर्ज अवैध खातेदारी भी प्रभावहीन एवं निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स स्वीकार किया जाना है, रेफरेन्स माननीय निबन्धक महोदय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की सेवा में प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम बांसेड के खसरा नंबर 575, 576, 577, 578, 579, 582, 583, 604 कुल क्षैत्रफल 6.50 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण की अवैध दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर तथा विभिन्न नामान्तरण संख्या 18 ,9 एंव 65 अवैध होने से खारिज किये जाकर उक्त भूमि पुनः "मंदिर श्री नरसिहजी महाराज वाके बासेड " ' दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना